भारत सरकार

परिणामी बजट

2015–16

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	**कार्यकारी सारांश**	i-iii
2	**अध्याय–I** मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य	**1-7**
3	**अध्याय–II** योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि	**8-14**
4	**अध्याय–III** नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय	**15-19**
5	**अध्याय–IV** पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा	**20-28**
6	**अध्याय–V** वित्तीय समीक्षा	**29-39**
7	**अध्याय–VI** मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	**40-42**

कार्यकारी सारांश

परिणामी बजट बजटिंग प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, जो वर्ष 2013–14 और 2014–15 (31.12.2014 तक) के वास्तविक निष्पादन तथा वर्ष 2015–16 के वास्तविक कार्य–निष्पादन के लक्ष्यों के साथ वित्तीय बजट के वास्तविक आयामों को दर्शाता है। परिणामी बजट आकलनीय कार्य निष्पादन के आधार पर सरकारी धनराशि के आबंटन और संवितरण के मध्य प्रभावी कड़ी स्थापित करने हेतु नीतिगत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

2. परिणामी बजट 2015–16 में निम्नलिखित अध्यायों का उल्लेख है :

अध्याय I: इसमें मंत्रालय की संरचना, नीतिगत ढांचा, लक्ष्य, मुख्य कार्यों इसकी अनिवार्यता और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का परिचय है।

अध्याय II: इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों तथा अनुमानित परिणामों के ब्यौरों का उल्लेख सारणीबद्ध विवरण के रूप में किया गया है ताकि वित्तीय परिव्ययों और लक्षित परिणामों के बीच तारतम्य स्थापित किया जा सके।

अध्याय III: इसमें अल्पसंख्यकों की विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसर और उनकी रहन–सहन दशाओं में सुधार हेतु विकास योजनाओं का लाभ उन्हें समान रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख नीतिगत पहलों और सुधार–उपायों का उल्लेख है। इस अध्याय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को विशिष्ट संसाधनों का आवंटन कराने के लिए लैंगिक समुत्थान के बारे में मंत्रालय के प्रयासों का विवरण भी दिया गया है।

अध्याय IV: इसमें वर्ष 2013–14 और वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान लक्ष्यों के संबंध में वास्तविक कार्य निष्पादन का योजनावार विश्लेषण किया गया है।

अध्याय V: इसमें हाल ही के वर्षों के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा व्यय की समग्र रूझानों की विस्तृत वित्तीय समीक्षा की गई है, जिसमें बकाया उपयोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति का भी उल्लेख है।

अध्याय VI: इसमें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है।

<u>निगरानी तंत्र:</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वयं द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए विस्तृत बहु–स्तरीय प्रणाली विकसित की गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना का अपना निगरानी तंत्र है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें– जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/एजेंसियों/संगठनों के साथ मिलकर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही तथा सचिवों की समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है और तत्पश्चात मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती है।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा की जाती हैं।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोग प्रमाण–पत्र, लेखा परीक्षित लेखे और अन्य अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं।

छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट (http//www.minorityaffairs.gov.in) से जोड़ा गया है।

<u>लोक सूचना प्रणाली:</u>

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों में जागरूकता लाने और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संदर्भ में की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं –

क) देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और स्थानीय भाषाओं के समाचार–पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करा कर प्रचार–प्रसार अभियान चलाया गया है।

ख) मंत्रालय की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों को मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

ग) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा योजना से संबंधित ब्यौरों के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट **(www.minorityaffairs.gov.in)** पर उपलब्ध कराया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय का पोर्टल योजनाओं और कार्यक्रमों, रिपोर्टों, प्रकाशनों, प्रलेखों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यालय परिपत्रों/सूचनाओं आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

घ) एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1800–11–2001 सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे के बीच सभी योजनाओं के बारे में सूचना प्रदान कर रहा है।

जेंडर आधारित पहलें:

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत वास्तवित लक्ष्य में से 30% लक्ष्य छात्राओं के लिए निर्धारित है।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना केवल महिलाओं के लिए है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्व–सहायता समूहों के माध्यम से उनकी जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त करना है।

एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना के तहत, महिलाओं को कौशल उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात् आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

अध्याय–I

मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ से जुड़े नियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वयन, समग्र नीति नियोजन में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से किया गया था।

मंत्रालय के प्रमुख कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। हाल ही में, मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी कार्य ग्रहण किया है। मंत्रालय के कार्य में सचिव को अंशकालिक संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार सहित चार संयुक्त सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। तीन संयुक्त सचिव (क) नीति और प्रशासन, (ख) छात्रवृत्ति, मीडिया तथा मूल्यांकन और योजना (ग) संस्थान, वक्फ, समन्वय एवं योजना से जुड़े स्कंध के कार्य देखते हैं। उनके कार्यों में सात निदेशक/उप–सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रालय में स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या 98 है।

मंत्रालय के क्रियाकलाप

क. <u>योजनागत कार्यक्रम/योजनाएं</u>

(i) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तिः

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/संस्थानों में कक्षा I से कक्षा X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। इस योजना की शुरूआत दिनांक 01.04.2008 से की गई जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2014–15 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

(ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तिः

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पी.एच.डी तक की भारत में शिक्षा के लिए तथा XI और XII कक्षा के स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध) से प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना का कार्यान्वयन नवम्बर, 2007 से राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2013–14 तक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी, अब वर्ष 2014–15 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

(iii) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजनाः

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग भी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना चुनिन्दा कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत लक्ष्य का 30% भाग छात्राओं के लिए निर्धारित है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, दो राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में प्रायोगिक आधार पर विज्ञान विषयों (पीसीबी/पीसीएम) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा में अभिकेंद्रित तैयारी के लिए चिन्हित 400 छात्रों के साथ योजना के नए संघटक के अंतर्गत शुरू की गई है। नए संघटक के अंतर्गत प्रति छात्र औसत लागत 1.00 लाख रु0 प्रतिवर्ष तक है।

(iv) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति :

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को दी जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना की शुरूआत जून, 2007 में हुई थी जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2013–14 तक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी, अब वर्ष 2014–15 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान :

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। सरकार द्वारा प्रतिष्ठान की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी संचित निधि (वर्तमान में ₹1,023 करोड़) के रूप में सहायता–अनुदान पर अर्जित ब्याज राशि ही प्रतिष्ठान की आय का मुख्य स्रोत है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं – वर्तमान संस्थानों के विस्तार और उन्नयन के लिए सहायता अनुदान की योजना और 11वीं तथा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की योजना।

(vi) बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी):

अल्पसंख्यक बहुल जिलों का अभिनिर्धारण अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और सापेक्ष रूप में पिछड़ेपन के आधार पर वर्ष 2007 में किया गया था। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक जिलों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में अपर्याप्त विकास के अंतर को कम करना है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्र करने के उद्देश्य से एमएसडीपी को वर्ष 2013–14 में पुनर्संरचित किया गया है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में, योजना की ईकाई को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए जिला के बजाय बदलकर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम में 12वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु 196 नगरों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक बहुल गांव के (कम–से–कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले) के निकटस्थ ग्राम समूह पर भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान :

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के मध्य अपनी सावधि ऋण और लघु–वित्तपोषण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने में कार्यरत है। निगम को अपनी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूंजी उपलब्ध करायी जाती है। एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी 10 फरवरी, 2015 को ₹1500 करोड़ से बढ़ाकर ₹3000 करोड़ कर दी गई है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण सहायता उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन भी करता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करके आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर लघु ऋण दिया जाता है।

(viii) एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदानः

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के क्रम में अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है और उनको अपनी क्षमता और कार्य प्रणाली क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता–अनुदान दिया जाता है। संशोधित योजना के तहत, 100% अंशदान एससीए को उनके निष्पादन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

(ix) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

इस योजना का लक्ष्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंको एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें।

(x) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण

यह योजना वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसरण में बनायी गई थी। इस योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय वक्फ़ परिषद के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीकृत कम्प्यूटिंग सुविधाएं (सीसीएफ) की स्थापना के लिए 27 राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता अनुदान जारी किए गए हैं। 27 राज्य वक्फ़ बोर्डों में सीसीएफ स्थापित कर लिए गए हैं। 31 दिसम्बर, 2014 तक, भारतीय वक्फ़ प्रबंधन प्रणाली (वामसी) पंजीकरण मॉड्यूल में 3,56,237 वक्फ़ संपत्तियों की प्रवृष्टि कर ली गई है। इसके अलावा, राज्य वक्फ़ बोर्डों, सीडब्ल्यूसी और एनआईसी को योजना के प्रारंभ से 19.18 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2014–15 के दौरान, 3.00 करोड़ रु0 की राशि शामिल है।

(xi) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगी तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों के शोध छात्रों को दी जाएगी। अध्येतावृत्ति का 30% शोध छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

(xii) प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकनः

इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में सूचना और डाटा–बेस सृजित करना, आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से अर्याप्त विकास के बारे मे सूचना एकत्र करना, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समवर्ती निगरानी करना, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए सूचना के प्रसार हेतु वार्षिक मीडिया योजना बनाना और मल्टी–मीडिया अभियान चलाना, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम का व्यापक रूप में प्रचार–प्रसार करना और बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों के आयोजन में सहायता देना है।

(xiii) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना स्कीम बनाई गई है ताकि वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ किया जा सके और इसके परिणाम स्वरूप वक्फ संपत्तियों का अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही प्रशासन और प्रबंधन होगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आय–सृजन में सुधार होगा। इससे उनके प्रवर्तन स्कंध को सुदृढ़ करके वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण को हटाने में उन्हें मदद मिलेगी। केंद्रीय सहायता 12वीं योजना अवधि अर्थात् उस अवधि के दौरान जब राज्य वक्फ बोर्डों के वेशी आय सृजन के साथ आत्मनिर्भन बन जाने की उम्मीद है, के दौरान मुहैया कराई जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यचालन और संस्थागत क्षमता से उनके आय सृजन में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर हुए हैं। उनकी क्षमताओं में सुधार से उनकी

आय वृद्धि में सुधार होगा जिससे बाह्य वित्तीय सहायता पर उनकी निर्भरता कम होती जाएगी और समय के साथ समाप्त हो जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। अतः, केंद्रीय सहायता मंत्रालय द्वारा नावाडको को प्रदान की जाएगी जो बाद में निधियों को राज्य वक्फ बोर्डों को उनके विधि और लेखाा अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागतों के लिए जारी की जाएगी। वक्फ संपत्तियों से गैर–कानूनी अतिक्रमण को हटाने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2014–15 के दौरान, नावाडको को 390.00 लाख रु0 जारी किए गए हैं, जो योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

(xiv) 'पढ़ो परदेश' – अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता

विदेशों में उच्चा शिक्षा में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के माध्यम से वित्तीय सहातया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को वर्ष 2014–15 के दौरान संचालित किया गया है।

(xv) लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना

लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की आबादी जनगणना आबादी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1941 में 1,14,000 थी, जो घट कर वर्ष 2001 में 69,000 रह गयी। लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी तथा आबादी में गिरावट के रूझान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह योजना बनायी गई है और वर्ष 2013–14 के दौरान इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है।

(xvi) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता :

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें सहायता प्रदान करना है। उपर्युक्त उल्लिखित सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में बहुत कम है। इस योजना में यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि इसका लाभ सक्षम अभ्यर्थियों को मिले। यह योजना पात्र अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है। यह योजना तैयार कर ली गई है और इसका क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 के दौरान शुरू हो गया है।

(xvii) कौशल विकास संबंधी पहलें :

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को दक्षता तथा उन्नत दक्षता प्रदान करके अल्पसंख्यकों में रोजगार और जीविकोपार्जन दक्षता सृजन में वृद्धि करना है। इस स्कीम में बहु–प्रतियोगी तथा निर्गमन, शीर्षस्थ और समस्तरीय गतिशीलता और जीवनपर्यन्त अध्ययन अवसरों से युक्त कुशल जनशक्ति विकसित करने की योजना है। इस स्कीम में विभिन्न स्तर के कार्यक्रमों (स्थापन, दक्षता निर्माण और उन्नयन) तथा मौजूदा अवसंरचना को इष्टतम उपयोग की परिकल्पना है ताकि प्रशिक्षण पर लागत कम आये। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 के दौरान शुरू हो गया है।

(xviii) विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)

विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन **(उस्ताद)** नामक एक नई योजना हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों का क्षमता–निर्माण करना तथा उनके पारम्परिक कौशलों को अद्यतन बनाना होगा। ये प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पी/कारीगर अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण देंगे तथा श्रम मर्यादा सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजरों के साथ संबंध स्थापित करेगा।

(xix) हमारी धरोहर :

"हमारी धरोहर" नामक नई योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत क्यूरेटिंग आइकोनिक प्रदर्शनियों, भाषा समर्थित खुशनवीसी का संरक्षण और संवर्धन तथा संबंधित शिल्पों, अनुसंधान और विकास के लिए भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करेगी।

(xx) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधानः यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है।

ख. गैर–योजनागत स्कीमें

(i) <u>शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजना के तहत वक्फों को सहायता–अनुदान</u>

रिक्त वक्फ भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से बचाने तथा कल्याणकारी क्रियाकलापों में विस्तार देकर आय सृजन हेतु इस भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजन से विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1974–75 से किया जा रहा है, जिसके लिए परिषद को केन्द्र सरकार से वार्षिक आधार पर सहायता अनुदान मिलता है। इस योजना के तहत देश भर में विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य भवनों यथा वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉलों, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि को संरक्षण में लेने के लिए ऋण दिया जाता है। ऋण राशि का पुनर्भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा परिषद को आसान किश्तों में किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त धनराशि से परिषद के परिक्रामी निधि का सृजन होता है, जिसे लघु परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु पुनः उपयोग में लाया जाता है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 1974–75 से कुल ₹47.07 करोड़ राशि का सहायता–अनुदान जारी किया गया है, जिसमें वर्ष 2014–15 के दौरान जारी ₹274.55 लाख शामिल हैं।

(ii) <u>केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान</u>

वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में केन्द्रीय वक्फ परिषद (वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8क अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप–धारा 1 के रूप में पठित) को प्रशासनिक व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिषद को सुदृढ़ बनाना है। यह योजना अभी तैयार की जानी है। तथापि, 2014–15 के दौरान ₹3.00 लाख का मामूली प्रावधान किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको)

राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) ₹500 करोड़ की शेयर पूंजी और ₹100 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 31.12.2013 को निगमित किया गया था। 49% शेयर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, 9% केन्द्रीय वक़्फ परिषद और शेष वक्फ संस्थानों तथा जनता के पास है। कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

ग. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रमः

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है (क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना; (ख) वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना, (ग) अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) साम्प्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों का यथासंभव 15% भाग अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

अध्याय–II

योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि

वर्ष 2015-16 के लिए ₹3712.78 करोड़ का योजनागत बजटीय प्रावधान है । केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात (i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान (ii) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, (iii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति (iv) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (vi) अल्पसंख्यकों हेतु प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन (vii) एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान (viii) एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान (ix) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (xi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (xii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना और (xiii) विदेशों में अध्ययनरत् छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता (xiv) छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना (xv) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण (xvi) कौशल विकास संबंधी पहलें और (xvii) यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सहायता (xviii) मौलाना मेडिकल सहायता योजना आदि के लिए ₹2468.78 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं और अल्पसंख्यकों हेतु केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए ₹1244 करोड़ प्रदान किये गयें हैं। वर्ष 2015–16 के गैर–योजनागत बजटीय प्रावधान में दो योजनाओं के लिए (वक्फों को सहायता–अनुदान की योजना के लिए ₹3.15 करोड़ और केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान के लिए ₹0.03 करोड़) अर्थात् ₹3.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए मात्रा निर्धारण, वास्तविक उपलब्धियां, वास्तविक लक्ष्य, अनुमानित परिणाम और समय सीमा संबंधी ब्यौरे नीचे की सारणी में दर्शाए गए हैं :–

परिणामी बजट 2015–16 (करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015–16 (करोड़ ₹ में)			मात्रा निर्धारण/ वास्तविक उपलब्धि	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर–योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)								
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	अल्पसंख्यकों के मध्य कमजोर वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ब्याज	–	113.00	–	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि के लिए ₹113 करोड़ जारी किया जाना।	50,000 छात्रवृत्तियां तथा 200 शिक्षा संस्थानों को गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से	वर्ष 2015-16 के दौरान	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा निवेशित राशि पर उपलब्ध ब्याज

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
		अर्जन हेतु प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि किए जाने हेतु।					अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों के अवसंरचना विकास और शैक्षिक अवसंरचना के साथ–साथ महिला साक्षरता में भी सुधार लाया जा सकेगा।		दर में गिरावट की स्थिति में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठान की आय पर्याप्त नहीं होगी।
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता।	–	45.00	–	7000 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता	6000 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त, 1500 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के साथ कक्षा 11वीं और 12वीं में अभिकेंद्रित तैयारी प्रदान की जाएगी।	वर्ष 2015–16 के दौरान	–
3	प्रचार सहित विकास योजनाओं का अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजना और कार्यक्रमों की निगरानी करना और अनुसंधान अध्ययन करना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार और प्रसार करना।	–	45.25	–	समाचार–पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किया जाना। योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/प्रभाव अध्ययन कराना। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों द्वारा योजनाओं/ कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन।	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार–प्रसार लक्षित वर्ग के मध्य करना और उनमें जागरूकता लाना। अनुसंधान/ प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और समवर्ती निगरानी कार्य किया जाना।	वर्ष 2015–16 के दौरान	-

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
4	एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान	अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और अन्य उद्यमों के लिए रियायती ऋण देने हेतु एनएमडीएफसी को सक्षम बनाने के लिए इसकी इक्विटी में अंशदान।	–	120.00	–	इक्विटी अंशदान के रूप में 120.00 करोड़ रूपए	एनएमडीएफसी द्वारा व-र्ा 2015-16 के दौरान 75,000 लाभार्थियों को कवर किया जाना है।	इक्विटी व-र्ा 2015-16 के दौरान उपलब्ध कराई जाएगीए	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है– 1. यदि इक्विटी के मद में राज्य सरकार का योगदान प्राप्त नहीं होता है। 2. यदि राज्य सरकारी गारंटी नहीं देते हैं। 3. यदि वितरित ऋण की वसूली कम होती है; 4. यदि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं कर रही हैं।
5	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता- अनुदान	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की श्रमशक्ति और संसाधनों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना ताकि एजेंसियां ऋण देने का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें	-	2.00	-	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण लेन-देन कार्य में सुधार होने की संभावना है	वर्ष 2015–16 के दौरान	परिणाम की उपलब्धि बाधित होगी यदि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं।
6.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम0 फिल और पी0एचडी के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए।	-	49.83	-	756 नई अध्येतावृत्तियां और नवीनीकरण	इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षिक निष्पादन और अनुसंधान संबंधी योग्यता में सुधार आयेगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
7.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता	-	3.00	-	30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को शामिल करना।	वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार के फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्डों की आय में वृद्धि होगी जिसे समुदाय के लाभार्थ प्रयोग में लाया जाएगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	
8.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने तथा सेवाओं और अवसरों तक उनकी पंहुच हेतु उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	15.00	-	40,000 महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने के लिए।	अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और अपने स्थानीय समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वसनीय संगठनों/ संस्थानों की पहचान और उनका सत्यापन।
9.	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता	विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।	–	4.19	–	100 विद्यार्थियों को कवर किया गया।	विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना।	वर्ष 2015–16 के दौरान	
10.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की घटती आबादी को नियंत्रित करना।	–	2.00	–	परिमाप्य नहीं	लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की घटती आबादी को नियंत्रित किया जाएगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	
11.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उनको सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता।	–	6.70	–	30 वक्फ बोर्ड कवर किये जाएंगे	निर्धन मुस्लिमों हेतु कल्याणकारी कार्यों के लिए वक्फ संपत्तियों से अतिरिक्त निधियों का अधिक सृजन और राज्य वक्फ बोर्डों का उन्नत कार्यकरण	वर्ष 2015–16 के दौरान	

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
12.	कौशल विकास संबंधी पहल	रोजगार और जीविको पार्जन में वृद्धि करने के लिए कौशल और कौशल–उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना।	–	67.45	–	25,000 अल्पसंख्यक युवा	अल्पसंख्यक समुदायों को दक्षता तथा उन्नत–दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें शीर्षस्थ और समस्तरीय गतिशीलता और जीवनपर्यंत अध्ययन अवसर मिले, जिससे वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों।	वर्ष 2015–16 के दौरान	
13.	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	–	4.00	–	800 लाभार्थी	सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाना।	वर्ष 2015–16 के दौरान	
14.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए सक्षम बनाना।	-	335.00	-	1.00 लाख छात्रवृत्तियां	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र रोजगार अवसर का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
15.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित माता–पिताओं को उनके स्कूल जाने वाले छात्रों पर पड़ने वाले उनके वित्तीय भार को कम करने के लिए तथा उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने के उनके प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।	-	1140.10	-	75 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदायों की साक्षरता दर में सुधार भी लाया जा सकेगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
16.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	उच्चत्तर शिक्षा हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति में वृद्धि करना और उनकी रोजगारपरकता बढ़ाना।	–	581.59 (सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ₹1.49 करोड़ शामिल)	–	9 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे उनकी रोजगार संबंधी संभावनों में सुधार लाया जा सकेगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
17.	विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)	सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों का क्षमता–निर्माण करना तथा उनके पारम्परिक कौशलों को अद्यतन बनाना होगा। ये प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पी/कारीगर अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण देंगे।	0.00	17.01	–	नई योजना। अभी निर्धारण किया जाना है।	अल्पसंख्यकों की परंपरागत कलाओं और शिल्पों की समृद्ध विरासत का संरक्षण सुनिश्चित करना। हाशिए पर आए अल्पसंख्यकों की बेहतर जीविका साधन सृजित करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना।	वर्ष 2015–16 के दौरान	
18	हमारी धरोहर	भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत क्यूरेटिंग आइकोनिक प्रदर्शनियों, भाषा समर्थित खुशनवीसी का संरक्षण और संवर्धन तथा संबंधित शिल्पों, अनुसंधान और विकास के लिए भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।	0.00	10.01	–	नई योजना। अभी निर्धारण किया जाना है।	आईकॉनिक प्रदर्शनियों, मौखिक परंपराओं/कलारूपों का अभिलेखन, भाषा समर्थित खुशनवीसी तथा संबंधित शिल्पों सहित क्यूरेटिंग प्रदर्शिनियों को सुनिश्चित करना, अनुसंधान तथा विकास के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करना।	वर्ष 2015–16 के दौरान	

केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस)									
19.	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	अभिनिर्धारित जिलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सामाजिक–आर्थिक दशाओं में अपर्याप्त विकास को कम करना।	-	1251.54 (केंद्रीय क्षेत्र योजना के भाग के रूप में आबंटित, अंडमान एवं निकोबार को 4.24 करोड़ रु0 और प्रशासनिक लागत एवं आईईसी के लिए 3.40 करोड़ सहित)	-	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी)/नगरों आदि के परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार करना और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां निर्मुक्त करना।	सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों जैसे साक्षरता, कार्य भागीदारी, आवास, पेय जल आपूर्ति, शौचालय, प्रकाश आदि की स्थिति में सुधार लाना।	वर्ष 2015–16 के दौरान	लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा योजना प्रस्तावों को भेजे जाने तथा स्वीकृत कार्यक्रमों को समय पर कार्यान्वित करने पर निर्भर है।
गैर–योजनागत योजनाएं									
20.	वक्फों को सहायता–अनुदान	शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता	3.15	–	–	अधिक आय सृजन के लिए वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक आधार पर विकसित किया जाना।	निर्धन मुस्लिमों के लिए कल्याणकारी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वक्फ परिसंपत्तियों से अतिरिक्त धनराशि सृजित होगी।	वर्ष 2015–16 के दौरान	
21.	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता	0.03	–	–	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	केन्द्रीय वक्फ परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार होगा।	वर्ष 2015–16 के दौरान	

अध्याय–III

नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय

नीतिगत पहल

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार 6 समुदायों को अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार, ये अल्पसंख्यक समुदाय कुल जनसंख्या का 18.82 प्रतिशत हैं। इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े लाभों, विशे-ाकर शिक्षा, रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विकासात्मक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने की दिशा में नीतिगत पहलें की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:–

(i) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घो-णा जून, 2006 में हुई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, (ख) वर्तमान और नई योजनाओं के माध्यम से तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि कर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, (ग) अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(ii) शैक्षिक सशक्तिकरण

(क) मंत्रालय ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियों और मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के शैक्षिक शक्तिकरण पर बल दिया है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि में सुधार के लिए तथा कक्षा XI और XII में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायां की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियों के लिए अनुदान प्रदान करता है।

(ख) 'पढ़ो परदेश – विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर आर्थिक इमदाद' योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च अध्ययनों के लिए ब्याज इमदाद प्रदान किया जाता है।

(iii) रोजगार के अवसर

(क) सीखो और कमाओ (Learn & Earn) गरीब अल्पसंख्यक युवाओं के लिए वर्ष 2013–14 से क्रियान्वित की जा रही प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/परंपरागत ट्रेडों में कौशलों को उन्नत करना है जो उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृत्ति और बाजार संभाव्यता पर आधारित होगी, जिससे उन्हें समुचित रोजगार मिल सकेगा अथवा वे स्व–रोजगार करने के लिए कुशल हो सकेंगे। यह योजना न्यूनतम 75% प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिसमें से कम से कम 50% संगठित क्षेत्र में हो।

(ख) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी दिनांक 10.02.2015 को 1500 करोड़ रु0 से बढ़ाकर 3000 करोड़ रु0 कर दिया है। एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और संशोधित शेयर धारिता स्वरूप से, केंद्र सरकार एनएमडीएफसी की अपनी शेयर पूंजी अंशदान करने की स्थिति में है और एनएमडीएफसी स्व–रोजगार के लिए ऋण योजनाओं हेतु अधिक निधियां प्रदान करने की स्थिति में होगा।

(ग) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना : इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है तथा प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत 30% लाभ बालिकाओं के लिए निर्धारित है।

(घ) विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन **(उस्ताद)** नामक एक नई योजना हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों के समृद्ध विरासत को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान अनुमोदित की गई है। ये प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों को अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न पारम्परिक कलाओं/शिल्पों विशेषकर मृतप्राय कलाओं और शिल्पों के प्रशिक्षण में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, योजना का उद्देश्य पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजरों के साथ संबंध स्थापित करना तथा श्रम मर्यादा सुनिश्चित करना है।

(iv) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक बहुल जिलों का अभिनिर्धारण वर्ष 2007 में सामाजिक–आर्थिक तथा आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी और पिछड़ेपन के आधार पर किया गया था। इस प्रकार, एमएसडीपी एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। एमएसडीपी का उद्देश्य चिन्हित एमसीडी में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में विकास की कमी को दूर करना है। इसका क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्र करने के उद्देश्य से एमएसडीपी को वर्ष 2013–14 में पुनर्संरचित किया गया है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में, योजना की ईकाई को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए जिला के बजाय बदलकर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम में 12वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु 196 नगरों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक बहुल गांव के (कम–से–कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले) के निकटस्थ ग्राम समूह पर भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

(v) महिला सशक्तिकरण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास" के लिए योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंको एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें। वस्तुतः, महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल समानता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह गरीबी में कमी लाने, आर्थिक वृद्धि करने और सिविल सोसाइटी को सुदृढ़ करने हेतु लड़ने में भी एक महत्वपूर्ण घटक है।

(vi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना से वक्फ बोर्डों के कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्ड अपने औक्फ पर निगरानी रख सकेंगे, परिसंपत्ति संबंधी सूचनाओं और आकड़ों को अद्यतन रख सकेंगे, अतिक्रमण रोक सकेंगे, वक्फ परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर नजर रख सकेंगे, कानूनी वादों को समय से लड़ सकेंगे और रिकार्डों के रख–रखाव और प्रबंधन कार्य को कारगर बना सकेंगे। कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मंत्रालय के परामर्शन में विकसित किया गया है। केंद्रीय वक्फ़ परिषद को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(vii) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना स्कीम बनाई गई है ताकि वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ किया जा सके और इसके परिणाम स्वरूप वक्फ संपत्तियों का अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही प्रशासन और प्रबंधन होगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आय–सृजन में सुधार होगा। इससे उनके प्रवर्तन स्कंध को सुदृढ़ करके वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण को हटाने में उन्हें मदद मिलेगी। केंद्रीय सहायता 12वीं योजना अवधि अर्थात् उस अवधि के दौरान जब राज्य वक्फ बोर्डों के वेशी आय सृजन के साथ आत्मनिर्भन बन जाने की उम्मीद है, के दौरान मुहैया कराई जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यचालन और संस्थागत क्षमता से

उनके आय सृजन में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर हुए हैं। उनकी क्षमताओं में सुधार से उनकी आय वृद्धि में सुधार होगा जिससे बाह्य वित्तीय सहायता पर उनकी निर्भरता कम होती जाएगी और समय के साथ समाप्त हो जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। अतः, केंद्रीय सहायता मंत्रालय द्वारा नावाडको को प्रदान की जाएगी जो बाद में निधियों को राज्य वक्फ बोर्डों को उनके विधि और लेखाा अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागतों के लिए जारी की जाएगी। वक्फ संपत्तियों से गैर–कानूनी अतिक्रमण को हटाने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी।

सुधार कार्य/सुधार के उपाय

वर्तमान योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैंः–

(I) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी);

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपनी ऋण योजनाएं क्रियान्वित करता है।

(ख) मंत्रालय एनएमडीएफसी के माध्यम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रचालनों के लिए निष्पादन आधारित योजना क्रियान्वित करता है।

(ग) एनएमडीएफसी को आउटरीच को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक चैनलों के रूप में बैंकों के साथ टाई–अप की संभावना की जांच करने का निदेश भी दिया गया है।

(घ) एनएमडीएफसी ने आउटरीच को बढ़ाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता का मानदंड भी 6.00 लाख रु0 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, सावधि ऋण, लघु वित्त और शैक्षिक ऋण की राशि की मात्रा भी बढ़ाई गई है। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की मात्रा 10.00 लाख रु0 से बढ़ाकर 30 लाख रु0 कर दी गई है। जबकि लघु वित्त योजना के अंतर्गत इसे स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए बढ़ाकर 50,000/– रु0 से 1.50 लाख रु0 कर दिया गया है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की मात्रा घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए 5.00 लाख रु0 से बढ़ाकर 20.00 लाख रु0 और विदेश में पाठ्यक्रमों के लिए 10.00 लाख रु0 से बढ़ाकर 30.00 लाख रु0 कर दी गई है।

(ङ) एनएमडीएफसी ने ऋण लिंकेज के साथ अल्पसंख्यकों के बीच उद्यमिता और व्यावसायिक कौशलों के विकास हेतु नवम्बर, 2014 में कौशलों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अकादमी (मानस) की स्थापना की है।

(च) आउटरीच को बढ़ाने के लिए चेन्नई में एनएमडीएफसी का एक क्षेत्रीय कार्यक्रम भी खोला गया है।

(II) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानीः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वंय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए कार्यक्रमों की निगरानी हेतु व्यापक बहु–चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना में संबंधित दिशा–निर्देर्शों में निगरानी तंत्र का उल्लेख है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/अभिकरणों/संगठनों के साथ मिल कर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती हैं।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए विस्तृत बहु–स्तरीय निगरानी प्रणाली होती है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की निगरानी जिला समितियों, राज्यों और केन्द्रीय स्तरों से की जाती है।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोग प्रमाण–पत्र, लेखा परिक्षित खाते और अन्य अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती है।

छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट **(http//www.minorityaffairs.gov.in)** से जोड़ा गया है।

ज) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यान्वित ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली सफल सिद्ध हुई है। तद्नुसार, ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली वर्ष 2012–13 से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए भी विस्तारित की गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली से जारी किया जा रहा है।

अध्याय–IV

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

वर्ष 2013–14 का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता– अनुदान	2013-14	160.00	160.00	150 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 35,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	120 गैर–सरकारी संगठनों को 15.04 करोड़ रु0 सहायता अनुदान स्वीकृत तथा छात्राओं के लिए 35159 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2013-14	120.00	0.00	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 96,200 लाभार्थियों को ₹350 करोड़ राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 75,966 लाभार्थियों को ₹325.46 करोड़ का लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2013-14	2.00	2.00	25 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया जाना।	निष्पादन के आधार पर 21 एससीए को सहायता जारी की गई।
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2013-14	25.00	23.68	6000 छात्रों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	9997 छात्रों को कोचिंग के लिए निधि जारी की गई।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2013-14	45.00	42.42	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन कराना।	इन विषयों नामतः अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण; बहु–संस्कृति वाद और कानून; अल्पसंख्यक अधिकारों की समझ, संविधान और कानून; तथा धर्म निरपेक्ष–वाद, अल्पसंख्यक अधिकार एवं संविधान पर क्रमशः अमेठी, अलीगढ़, देहरादून और हैदराबाद में चार राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। एक मल्टी–मीडिया अभियान चलाया गया। 1154 समाचार पत्रों में विज्ञापन मुद्रित कराए गए। आकाशवाणी तथा निजी एफएम चैनलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में श्रव्य–दृश्य स्पॉट प्रसारित कराए गए। दूरदर्शन नेटवर्क पर टीवी कॉमर्शियल प्रसारित कराए गए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 61 थियटरों सहित सम्पूर्ण भारत के 4475 थिएटरों में डिजिटल सिनेमा के माध्यम से दिखाए गए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अल्पसंख्यकों से संबंधित 6 डॉक्युमेंट्री फिल्में पूरी की। मदर टेरेसा और सूफी संस्कृति के बारे में डॉक्युमेंट्री फिल्में दूरदर्शन पर प्रसारित की गईं। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू आदि में नए पम्फलेट मुद्रित कराए गए।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	2013-14	270.00	260.00	60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर)	1,00,428 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं (नएः 69,377 और नवीकरणः 31,051) (छात्राओं के लिए 39,329)
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2013-14	950.00	963.79	40 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)।	77.94 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 38.51 लाख छात्रवृत्तियां) प्रदान की गईं।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2013-14	548.50	515.76	5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)।	8.90 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। (छात्राओं के लिए 4.89 लाख छात्रवृत्तियां)
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2013-14	1250.00	646.42	अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदन करना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु निधियां जारी करना।	31.03.2014 तक 1484. 02 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का अनुमोदन। अनुमोदित मदों में इंदिरा आवास योजना मकान आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2013-14	90.00	50.02	756 नई अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना तथा नवीकरण।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 756 नई तथा नवीनीकरण अध्येतावृत्तियां प्रदान करने हेतु निधियां जारी की गई।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
11.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2013-14	3.00	2.98	30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना (इनमें जम्मू और कश्मीर और केन्द्रीय वक्फ परिषद शामिल हैं।)	राज्य वक्फ बोर्डों को ₹2.98 करोड़ की राशि जारी की गयी है।
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	2013-14	15.00	11.95	40,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	60,875 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 24 राज्यों को निधियां जारी की गई।
13.	अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	2013-14	2.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	चूंकि योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, अतः इसे वर्ष 2014–15 से कार्यान्वित किया जाएगा।
14.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	2013-14	2.00	0.41	निर्धारण नहीं किया गया।	केवल पक्षसमर्थन किया गया है।
15	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2013-14	5.00	0.00	15 राज्य वक्फ बोर्डों को कवर किया जाना।	
16	कौशल विकास पहल	2013-14	17.00	16.99	20,000 अल्पसंख्यक युवा	20,164 अल्पसंख्यक युवा
17	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	2013-14	3.00	1.95	800 अभ्यर्थी	483 अभ्यर्थियों को 1.95 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता दी गई थी।
18	सचिवालय	2013-14	1.50	1.13	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
19	राज्य और संघ राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता अनुदान (गैर–योजनागत)	2013-14	3.18	2.68	अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करना ताकि कल्याण से जुड़े क्रियाकलापों में वृद्धि की जा सके।	7 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत। दो प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
20	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2013-14	0.03	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।	योजना को जुलाई, 2009 में स्वीकृति मिली थी, किन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टॉफ संरचना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

वर्ष 2014–15 का विवरण

(करोड़ रु0 में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि (31.12.14 तक)	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि (31.12.14 तक)
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता– अनुदान	2014-15	113	113	150 गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान और छात्राओं को 45,000 छावृत्तियां वितरित करना।	एमएईएफ के सामान्य निकाय ने 19.02.2015 को आयोजित अपनी बैठक में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 45000 आवेदनों (एमएईएफ को प्राप्त 1. 14 लाख आवेदनों में से) अनुमोदन किया है। छात्रवृत्तियां वितरण हेतु प्रक्रियाधीन है।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2014-15	120	0.00	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 97,000 लाभार्थियों को ₹400 करोड़ राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 46763 लाभार्थियों को ₹246.70 करोड़ का लघु ऋण/वित्तीय सहायता वितरित किए गए थे।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2014-15	2.00	1.38	25 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी करना।	निष्पादन के आधार पर 17 एससीए को जारी किया गया।
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2014-15	25.00	23.48	6000 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	6314 छात्रों को कोचिंग के लिए निधियां जारी की गई।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2014-15	45.00	21.63	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन कराना।	मल्टी–मीडिया अभियान चलाया गया। 804 समाचार पत्रों में तीन प्रिंट विज्ञापन जारी किए गए। आकाशवाणी नेटवर्क के माध्यम से श्रव्य–दृश्य स्पॉट प्रसारित कराए गए। दूरदर्शन नेटवर्क पर टीवी कॉमर्शियल प्रसारित कराए गए।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	2014-15	335	222.84	60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर)	80,132 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं (नएः 46552 और नवीकरणः 33,580)
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2014-15	1100	1040.23	30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)।	64.73 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 33.03 लाख छात्रवृत्तियां) प्रदान की गईं।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2014-15	598.50	56.54	5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)।	95506 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2014-15	1250	754.45	अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदन करना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु निधियां जारी करना।	31.12.2014 तक 669. 17 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का अनुमोदन। अनुमोदित मदों में इंदिरा आवास योजना मकान, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
10	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2014-15	50.00	0.09	756 नई अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना तथा नवीकरण।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी निधि की मांग नहीं की गई।
11.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2014-15	3.00	3.00	30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना इनमें जम्मू और कश्मीर और केन्द्रीय वक्फ परिषद शामिल हैं।	₹3.00 करोड़ की राशि जारी की गयी है।
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	2014-15	14.00	11.80	40,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	189025 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 26 राज्यों को निधियां जारी की गई।
13.	अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	2014-15	4.00	3.50	100 छात्र	573 छात्र
14.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	2014-15	2.00	0.32	अभी निर्धारण किया जाना है।	पक्षसमर्थन और चिकित्सा सहायता को लिया गया।
15	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2014-15	7.00	3.54	30 राज्य वक्फ बोर्डों को कवर किया जाना है।	
16	कौशल विकास पहल	2014-15	35.00	34.68	20,000 अल्पसंख्यक युवा	16270 अल्पसंख्यक युवा
17	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	2014-15	4.00	1.80	800 छात्र	547 अभ्यर्थियों को 1.80 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता दी गई थी।
18	सचिवालय	2014-15	1.50	0.40	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
19	राज्य और संघ राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता अनुदान (गैर–योजनागत)	2014-15	3.15	2.74	कल्याण क्रियाकलापों को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक स्तर पर विकसित करना।	7 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत।
20	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2014-15	0.03	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।	यह योजना पुनर्गठन अध्ययन पूरा होने के पश्चात तैयार की जाएगी।

अध्याय–V
वित्तीय समीक्षा

अध्याय–V (क)

वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2014–15 हेतु बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान और वर्ष 2015–16 का बजट अनुमान दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2014-15)			संशोधित अनुमान (2014-15)			बजट अनुमान (2015-16)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
	राजस्व खंड										
1	सचिवालय	2251	1.50	10.84	12.34	0.90	10.34	11.24	1.49	11.50	12.99
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2225	0.00	7.30	7.30	0.00	9.69	9.69	0.00	7.56	7.56
3	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2225	0.00	1.69	1.69	0.00	1.79	1.79	0.00	3.09	3.09
4	वक्फ को सहायता–अनुदान	2235	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	3.15
5	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	2235	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03
6	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता–अनुदान	2225	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00
7	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	2225	22.50	0.00	22.50	29.17	0.00	29.17	45.00	0.00	45.00
		2552	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
		योग	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**31.67**	**0.00**	**31.67**	**45.00**	**0.00**	**45.00**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2014-15)			संशोधित अनुमान (2014-15)			बजट अनुमान (2015-16)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
8	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना (अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान)	2235 (प्रचार)	39.50	0.00	39.50	30.00	0.00	30.00	39.75	0.00	39.75
	व्यावसायिक सेवाएं	2235	5.20	0.00	5.20	2.475	0.00	2.475	5.00	0.00	5.00
		2552	0.30	0.00	0.30	0.275	0.00	0.275	0.50	0.00	0.50
		योग	**45.00**	**0.00**	**45.00**	**32.75**	**0.00**	**32.75**	**45.25**	**0.00**	**45.25**
9	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2225	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
		2552	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20
		योग	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
10	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	45.00	0.00	45.00	0.90	0.00	0.90	44.85	0.00	44.85
		2552	5.00	0.00	5.00	0.10	0.00	0.10	4.98	0.00	4.98
		योग	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**49.83**	**0.00**	**49.83**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2014-15)			संशोधित अनुमान (2014-15)			बजट अनुमान (2015-16)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
11	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2235	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70
		2552	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30
		योग	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	2235	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	14.13	0.00	14.13
		2552	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.87	0.00	0.87
		योग	**14.00**	**0.00**	**14.00**	**14.00**	**0.00**	**14.00**	**15.00**	**0.00**	**15.00**
13	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद	2235	3.60	0.00	3.60	3.50	0.00	3.50	4.19	0.00	4.19
		2552	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**3.50**	**0.00**	**3.50**	**4.19**	**0.00**	**4.19**
14	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2235	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00
15	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2225	6.30	0.00	6.30	3.60	0.00	3.60	6.08	0.00	6.08
		2552	0.70	0.00	0.70	0.40	0.00	0.40	0.62	0.00	0.62
		योग	**7.00**	**0.00**	**7.00**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**6.70**	**0.00**	**6.70**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2014-15)			संशोधित अनुमान (2014-15)			बजट अनुमान (2015-16)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
16	कौशल विकास पहल	2225	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.23	0.00	0.23
		2235	30.79	0.00	30.79	41.397	0.00	41.397	64.22	0.00	64.22
		2552	4.00	0.00	4.00	4.623	0.00	4.623	3.00	0.00	3.00
		योग	**35.00**	**0.00**	**35.00**	**46.23**	**0.00**	**46.23**	**67.45**	**0.00**	**67.45**
17	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारांभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	2225	3.60	0.00	3.60	2.10	0.00	2.10	3.60	0.00	3.60
		2552	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40
		योग	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**2.50**	**0.00**	**2.50**	**4.00**	**0.00**	**4.00**
18	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति।	2225	295.65	0.00	295.65	310.65	0.00	310.65	309.10	0.00	309.10
		3601	6.25	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	5.80	0.00	5.80
		3602	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
		2552	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	20.00	0.00	20.00
		योग	**335.00**	**0.00**	**335.00**	**350.00**	**0.00**	**350.00**	**335.00**	**0.00**	**335.00**
19	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2225	8.00	0.00	8.00	3.2651	0.00	3.2651	7.64	0.00	7.64
		3601	1094.00	0.00	1094.00	704.405	0.00	704.405	1104.25	0.00	1104.25
		3602	10.00	0.00	10.00	1.22	0.00	1.22	12.00	0.00	12.00
		2552	138.00	0.00	138.00	62.05	0.00	62.05	127.75	0.00	127.75
		योग	**1250.00**	**0.00**	**1250.00**	**770.94**	**0.00**	**770.94**	**1251.64**	**0.00**	**1251.64**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2014-15)			संशोधित अनुमान (2014-15)			बजट अनुमान (2015-16)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
20	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां	2225	2.75	0.00	2.75	1.75	0.00	1.75	979.97	0.00	979.97
		3601	982.25	0.00	982.25	1012.25	0.00	1012.25	10.00	0.00	10.00
		3602	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	0.03	0.00	0.03
		2552	110.00	0.00	110.00	113.00	0.00	113.00	50.10	0.00	50.10
		योग	**1100.00**	**0.00**	**1100.00**	**1130.00**	**0.00**	**1130.00**	**1040.10**	**0.00**	**1040.10**
21	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	2225	527.40	0.00	527.40	527.40	0.00	527.40	541.18	0.00	541.18
		3601	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	8.80	0.00	8.80
		3602	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.02	0.00	0.02
		2552	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	30.10	0.00	30.10
		योग	**598.50**	**0.00**	**598.50**	**598.50**	**0.00**	**598.50**	**580.10**	**0.00**	**580.10**
22	मौलाना आजाद मेडिकल सहायता	2225	1.80	0.00	1.80	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
		2552	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
23	विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)	2235	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	17.01	0.00	17.01
		2552	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
		योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.50**	**0.00**	**0.50**	**17.01**	**0.00**	**17.01**
24	हमारी धरोहर	2225	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	10.01	0.00	10.01
		2552	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
		योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**10.01**	**0.00**	**10.01**
	योग (राजस्व खंड)		**3591.00**	**23.01**	**3614.01**	**3110.00**	**25.00**	**3135.00**	**3592.78**	**25.33**	**3618.11**
	पूंजीगत खंड										
25	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	4225	108.00	0.00	108.00	27.00	0.00	27.00	108.00	0.00	108.00
		4552	12.00	0.00	12.00	3.00	0.00	3.00	12.00	0.00	12.00
		योग	**120.00**	**0.00**	**120.00**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**120.00**	**0.00**	**120.00**
	योग (राजस्व खंड)		**120.00**	**0.00**	**120.00**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**120.00**	**0.00**	**120.00**
	कुल योग= (राजस्व + पूंजीगत) खंड		**3711.00**	**23.01**	**3734.01**	**3140.00**	**25.00**	**3165.00**	**3712.78**	**25.33**	**3738.11**

अध्याय V(ख)

वित्तीय समीक्षा

वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए परिव्यय सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान परिव्यय तथा वास्तविक व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13)	परिव्यय (2013–14)	वास्तविक व्यय (2013–14)	परिव्यय (2014–15)	वास्तविक व्यय 2014–15 (31.12.2014 तक)
	गैर–योजनागत						
1	सचिवालय–सामाजिक सेवा	8.12	7.75	9.60	10.33	10.84	7.97
2	अन्य सामाजिक सेवाएं						
i)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)	6.36	4.36	5.63	4.92	7.30	4.63
ii)	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (सीएलएम)	1.99	1.32	1.54	1.33	1.69	1.41
3	i) वक्फ को सहायता–अनुदान	3.20	2.88	3.18	2.68	3.15	2.75
	ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
	iii) राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता–अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग =	**16.00**	**14.37**	**19.70**	**16.31**	**23.01**	**16.76**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13)	परिव्यय (2013–14)	वास्तविक व्यय (2013–14)	परिव्यय (2014–15)	वास्तविक व्यय 2014–15 (31.12.2014 तक)
	योजनागत						
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सी एस)**						
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	100.00	0.00	160.00	160.00	113.00	113.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	20.00	14.00	25.00	23.68	25.00	23.42
3	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	100.00	99.64	120.00	0.00	120.00	0.00
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	40.00	31.05	45.00	42.42	5.00	21.63
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.38
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	15.00	10.45	15.00	11.95	14.00	11.58
7	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	70.00	66.00	90.00	50.02	50.00	0.09
8	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	5.00	0.89	3.00	2.98	3.00	3.00
9	विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी की योजना	2.00	0.00	*2.00*	0.00	4.00	3.50

						(करोड़ ₹ में)	
क्रम सं.	**योजना/कार्यक्रम का नाम**	**परिव्यय (2012–13)**	**वास्तविक व्यय (2012–13)**	**परिव्यय (2013–14)**	**वास्तविक व्यय (2013–14)**	**परिव्यय (2014–15)**	**वास्तविक व्यय 2014–15 (31.12.2014 तक)**
10	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2.00	0.00	2.00	0.41	2.00	0.32
11	कौशल विकास पहल	20.00	0.00	17.00	16.99	35.00	34.68
12	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारांभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	4.00	0.00	3.00	1.95	4.00	1.80
13	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	5.00	0.00	7.00	1.91	7.00	3.54
14	मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	उप–योग - (सीएस))=	**385.00**	**222.03**	**491.00**	**314.31**	**426.00**	**217.94**
ख	**केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)**						
1	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	220.00	181.18	270.00	259.90	335.00	222.84
2	अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	999.00	641.26	1250.00	953.48	1250.00	754.45
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	900.00	786.14	950.00	963.00	1100.00	1040.23
4	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	500.00	326.43	548.50	515.67	598.50	56.54
5*	अभिज्ञात पिछड़े 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	50.00	0.00	--	--	-	-

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13)	परिव्यय (2013–14)	वास्तविक व्यय (2013–14)	परिव्यय (2014–15)	वास्तविक व्यय 2014–15 (31.12.2014 तक)
6*	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/अल्पसंख्यक बहुल जिलों द्वारा कवर न किये गये गांवों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	50.00	0.00	-	--	-	--
7*	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता	25.00	0.00	-	-	-	--
8*	नौंवीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिलें	5.00	0.00	-	-	-	--
9	सचिवालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सेवा	1.00	0.95	1.50	1.13	1.50	0.40
	उप–योग (सीएसएस)=	**2750.00**	**1935.01**	**3020.00**	**2693.18**	**3285**	
	कुल योग (क + ख) =	**3135.00**	**2157.04**	**3530.98**	**3007.49**	**3711**	**2292.40**

*इन योजनाओं को अल्पसंख्यकों हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के साथ आमेलित कर दिया गया है।

अध्याय–V (ग)

वर्ष 2013–14 और 2014–15 के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय संबंधी प्रवृत्ति का विश्लेषण

वर्ष 2013-14

(करोड़ ₹ में)

	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013–14	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	3511.00	3111.00	3007.49	85.66	96.67
राजस्व	3391.00	3071.40	3007.49	88.69	97.92
पूंजीगत	120.00	39.60	0.00	0.00	0.00
गैर-योजनागत में से	19.98	19.84	19.26	96.40	97.07
राजस्व	19.98	19.84	19.26	96.40	97.07
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	3530.98	3130.84	3026.75	85.72	96.68
राजस्व	3410.98	3091.24	3026.75	88.74	97.91
पूंजीगत	120.00	39.60	0.00	0.00	0.00

वर्ष 2014-15

(करोड़ ₹ में)

	बजट अनुमान 2014-15	संशोधित अनुमान 2014–15	वास्तविक व्यय (31.12.2014 तक)	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	3711.00	3140.00	2292.40	61.77	73.01
राजस्व	3591.00	3110.00	2292.40	63.84	73.71
पूंजीगत	120.00	30.00	0.00	0.00	0.00
गैर-योजनागत में से	23.01	25.00	16.76	72.84	67.04
राजस्व	23.01	25.00	16.76	72.84	67.04
पूंजीगत	-	-	-	-	
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	3734.01	3165.00	2309.16	61.84	72.96
राजस्व	3614.01	3135.00	2309.16	63.89	73.66
पूंजीगत	120.00	30.00	0.00	0.00	0.00

अध्याय–V (घ)

राज्यों और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के पास दिनांक 01.04.2014 और 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार शेष बची राशि तथा उनके द्वारा देय उपयोग प्रमाण–पत्र की स्थिति

(करोड़ रु0 में)

01.04.2014 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	01.04.2014 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की राशि	01.04.2014 के अनुसार शेष बची राशि	31.12.2014 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	31.12.2014 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की राशि	31.12.2014 के अनुसार शेष बची राशि
1123	**1507.20**	**3928.37**	**909**	**1,213.50**	**1,838.51**

अध्याय–VI

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

(1) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):** एनएमडीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा–25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र लाभार्थियों को स्व–रोजगार से जुड़े क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती है जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे है। एनएमडीएफसी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके तहत वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उपलब्धियों में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(2) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान:**

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढावा देता है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं– स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद आदि के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान तथा शैक्षिक अवसंरचना का विकास और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना।

वर्ष 2014–15 के लिए, एमएईएफ के सामान्य निकाय ने दिनांक 19.02.2015 को आयोजित बैठक में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 45000 आवेदन (एमएईएफ द्वारा प्राप्त 1.14 लाख आवेदनों से) अनुमोदित किए हैं। वितरण हेतु छात्रवृत्तियां प्रक्रियाधीन है।

एमएईएफ के ढांचागत कार्यात्मक विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी लगाई है ताकि इसे एक गतिशील संगठन, अल्पसंख्यक समुदायों की बदल रही प्रत्याशाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

(3) **केंद्रीय वक्फ परिषद:** देश में औकाफ के समुचित संचालन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुड़े मुददों पर भारत सरकार को सलाह देने के मुख्य उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1954 (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–9 की उपधारा–1 के रूप में पठित) की धारा 8क के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। परिषद का एक अध्यक्ष है, जो औकाफ प्रभारी केंद्रीय मंत्री हैं। परिषद में वक्फ अधिनियम में यथा उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों से 20 अन्य सदस्य हैं। वर्तमान परिषद का गठन दिनांक 12.05.2011 को पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के पश्चात परिषद को अपनी पूर्ववर्ती परामर्शी भूमिगत से विनियामक भूमिका मिल गई है।

औकाफ और औकाफ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से और उनके कल्याण क्रियाकलापों के क्षेत्र को विस्तृत करने हेतु केंद्र सरकार 1974–75 से शहरी वक्फ संपत्तियों के

विकास के लिए देश के वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को अग्रिम वित्तीय सहायता के विशिष्ट उद्देश्य से केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करती आ रही है।

भारत सरकार ने 1974–75 से सीडब्ल्यूसी को 47.07 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया है जिसमें 2014–15 के दौरान जारी 274.55 लाख रुपये भी शामिल हैं। परिषद इस मंत्रालय की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना क्रियान्वित कर रहा है।

(4) दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेरः राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत, दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति के रूप में निहित है। नाजिम प्रबंधन समिति का सीईओ है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

(5) राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको): भारत में विश्व के सबसे बड़ी वक्फ भूमि है। सच्चर समिति रिपोर्ट, 2006 द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, लगभग 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें लगभग 6 लाख एकड़ भूमि शामिल है, इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रु0 है। चूंकि अधिकांश संपत्तियां प्रमुख शहरी स्थानों में अवस्थित हैं, अतः यदि इनका समुचित रूप से विकास किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रु0 की वार्षिक आय सृजित होने की संभावना है।

विकास की कमी के अंतर को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लि0 (नावाडको) की स्थापना भारत में बहुमूल्य वक्फ संपत्तियों को विकसित करने और वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों की आय को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अधिदेश के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2013 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। नावाडको की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रु0 है और प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रु0 है, जिसका शेयर धारिता स्वरूप निम्नानुसार हैंः–

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	49%
केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)	9%
वक्फ संस्थान और/अथवा निकाय कॉर्पोरेटों सहित जनता	42%

नावाडको ने बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में विकास के लिए 67 व्यावसायिक रूप में संभावित संपत्तियों को चिन्हित किया है। उनमें से चार (4) संपत्तियों की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

नावाडको ने संभाव्यता रिपोर्टें, डीपीआर तैयार करने और वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के "राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ करने की योजना" कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(6) आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यकः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम) के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की जुलाई, 2011 से जून, 2012 की अवधि के लिए 49वीं रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 22–08–2013 और 19–08–2013 को रखी गई थी।

(7) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम): प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 और 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत छह धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों तथा जेनों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे, परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। पंजाब और केरल की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोग का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का भी अनुरोध किया है।

****